

वशिव तंबाकू नषिध दविस

प्रलिमिस के लयि:

वशिव तंबाकू नषिध दविस

मेन्स के लयि:

स्वास्थ्य

चर्चा में क्यों?

तंबाकू सेवन के घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये प्रत्येक वर्ष 31 मई को 'वशिव तंबाकू नषिध दविस' के रूप में मनाया जाता है।

- वशिव तंबाकू नषिध दविस कीघोषणा [वशिव स्वास्थ्य संगठन](#) के सदस्य राष्ट्रों द्वारा वर्ष 1987 में की गई ताकत तंबाकू महामारी से होने वाली मृत्यु तथा बीमारियों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके।
 - वर्ष 1988 में संकल्प WHA 42.19 पारित कर प्रत्येक वर्ष 31 मई को वशिव तंबाकू नषिध दविस मनाने का आह्वान किया गया था।

मुख्य वषिय:

- वशिव तंबाकू नषिध दविस 2022 की थीम "पर्यावरण की रक्षा" है।
 - WHO के अनुसार, "पर्यावरण पर तंबाकू उद्योग का हानिकारक प्रभाव व्यापक रूप से बढ़ रहा है, जिससे हमारे ग्रह पर "दुर्लभ संसाधनों और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र" पर पहले से ही उपस्थित दबाव में अनावश्यक वृद्धि हो रही है।"
- WHO प्रत्येक वर्ष तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिये सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों द्वारा किये गए प्रयासों और योगदान के लिये उन्हें सम्मानित करता है।
 - इस वर्ष WHO ने वशिव तंबाकू नषिध दविस (WNTD) पुरस्कार-2022 के लिये [झारखंड](#) का चयन किया है।

तंबाकू के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव:

- तंबाकू की लत को दुनिया भर में रोके जा सकने वाली **मौतों और वकिलांगता का सबसे बड़ा कारण** माना गया है।
- तंबाकू के सेवन से हर वर्ष **लाखों लोगों की मौत** होती है।
 - भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 35 मिलियन मौतें तंबाकू के सेवन की वजह से होती हैं और यह तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं उत्पादक देश भी है।
 - वशिव स्तर पर प्रत्येक वर्ष लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन से होती है, जिनमें 5 लाख भारतीय शामिल हैं।
- धूम्रपान **कैंसर, दिल का दौरा, बरेन स्ट्रोक, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ (COPD) और पेरिफेरल वैस्कुलर डिज़ीज़ (PVD)** से मौत का कारण बनता है।
- वशिव में धूम्रपान करने वाली **महिलाओं की संख्या बढ़ रही** है। महिलाओं को अतिरिक्त खतरों का सामना करना पड़ता है जैसे- प्रतिकूल गर्भावस्था के परिणाम, महिला वशिष्ट कैंसर जैसे- स्तन, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर और हृदय संबंधी जोखिम में वृद्धि आदि।
- यदि निरंतर और प्रभावी पहलों को लागू नहीं किया जाता है तो महिला धूम्रपान की व्यापकता **वर्ष 2025 तक 20% तक बढ़ने की संभावना** है।

तंबाकू का पर्यावरण पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव:

- ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन:** तंबाकू से एक वर्ष में 84 मेगा टन से अधिक ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन होता है।
- मृदा और जल संदूषण:** सिगरेट के बट्टे व एकल उपयोग वाले जैव अनमिनकरणीय पाउच और ई-सिगरेट के माइक्रोप्लास्टिक द्वारा मृदा में वषिकृत पदार्थों के मशिरण के कारण यह मृदा एवं जल को दूषित करता है।
- सिगरेट बनाने के लिये जल की बहुत अधिक मात्रा का उपयोग किया जाता है फलस्वरूप यह अत्यधिक जल का दोहन करता है।

भारत के संदर्भ में आँकड़े:

- 29 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों चंडीगढ़ व पुदुचेरी में कयि गए **ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (2010)** ने **पुरुषों के बीच गरिावट** की प्रवृत्ति और **2005-09 के दौरान महिला धूम्रपान की समग्र बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया है**।
 - महिलाओं के बीच बढ़ती वययक्षमता और वैश्वीकरण तथा आर्थिक संक्रमण के कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाओं के कमजोर होने को इस खतरनाक प्रवृत्ति के कुछ प्रमुख कारणों के रूप में देखा जा सकता है।

तंबाकू की खपत को रोकने के लयि प्रमुख पहल:

- **तंबाकू नयितरण पर डब्ल्यूएचओ ढाँचागत संधि(FCTC):** यह WHO के तत्वावधान में की गई पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है।
 - इसे **21 मई, 2003** को **वश्व स्वास्थ्य सभा (WHA)** द्वारा स्वीकार कयि गया और **27 फरवरी, 2005** को लागू हुई।
 - तंबाकू के उपयोग से नपिटने के लयि FCTC द्वारा अपनाए गए उपाय:
 - **मूल्य और कर उपाय**
 - तंबाकू के पैकेट पर बड़े-बड़े शब्दों में मुद्रति चेतावनयिँ
 - 100% धूम्रपान मुक्त सार्वजनिक स्थान
 - तंबाकू के वपिणन पर प्रतबिंध
 - धूम्रपान छोड़ने के इच्छुक लोगों की सहायता
 - तंबाकू उद्योगों द्वारा हस्तक्षेप की रोकथाम
 - WHO ने **MPOWER** की शुरुआत की है जो तकनीकी उपायों और संसाधनों का एक संयोजति व संयुक्त प्रयास करता है, जनिमें से **प्रत्येक WHO के FCTC कार्यक्रम केकम-से-कम एक प्रावधान से मेल खाता है**।
- **राष्ट्रीय तंबाकू नयितरण कार्यक्रम (NTCP):** भारत सरकार ने वर्ष 2007 में नमिनलिखित उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय तंबाकू नयितरण कार्यक्रम की शुरुआत की:
 - तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
 - तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और आपूर्तिको कम करना।
 - "सगिरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (वजिजापन का नषिध, व्यापार और वाणजिय, उत्पादन, आपूर्ति एवं वतितरण का वनियमन) अधनियम, 2003" (COTPA) के प्रावधानों का प्रभावी कार्यानवयन सुनिश्चिति करना।
 - तंबाकू को छोड़ने में लोगों की सहायता करना।
 - WHO की ढाँचागत संधि द्वारा अनुशंसति तंबाकू की रोकथाम और नयितरण के लयि रणनीतयिँ के कार्यानवयन की सुवधि प्रदान करना।

आगे की राह

- लोगों में जागरूकता बढ़ाना एवं **तंबाकू उत्पादों पर उच्च कराधान**।
- वजिजापनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों पर **प्रतबिंध**।
- **तंबाकू छोड़ने के इच्छुक** लोगों को वभिन्न प्रकार की **सहायता** प्रदान करना।
- पर्यावरण की क्षति के लयितंबाकू कंपनयिँ पर दंड लगाना।
- तंबाकू कसिनो को स्थायी और वैकल्पिक फसलों में स्थानांतरति करने के लयि प्रोत्साहति करना तथा उनका समर्थन करना।
- स्कूल स्तर से स्वास्थ्य शिक्षा, धूम्रपान करने वालों की कैंसर की जाँच और धूम्रपान छोड़ने वालों के लयिकैंसर के शीघ्र उपाय प्रदान करना।

स्रोत: द हद्दि